108

संख्या– 861 /XV-2/01(01)/2006 (डेरी)

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21, ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2012:

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–28 आयोजनेत्तर(नान प्लान) अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन में अवचनवद्ध मदो में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–760 / XV-II / 01(01) / 2006(डेरी), दिनॉक 27–07–12 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को आयोजनेत्तर पक्ष अर्न्तगत दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान योजना हेतु निम्नलिखित अवचनवद्ध मदों में कुल धनराशि ₹ 846 हजार (₹ आठ लाख छियालिस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

मद संख्या एवं मद का नाम	धनराशि
04–यात्रा व्यय	133
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	73
07–मानदेय	7
08–कार्यालय व्यय	80
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40
12–कार्यालय फनीचर एवं उपकरण	33
13–टेलीफोन पर व्यय	73
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	133
19–विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्यय	23
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	147
44–प्रशिक्षण व्यय	17
45–अवकाश यात्रा व्यय	17
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय	33
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	37
योग :–	**846**

(कुल धनराशि ₹ आठ लाख छियालिस हजार मात्र)

2/–

1. निदेशक, डेरी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर तत्काल जिला स्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।

2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित अवमुक्त की जा रही राशि के सापेक्ष व्यय का विवरण प्रपत्र बी0एम0–13 पर शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

4. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

5. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

7. सुनिश्चित किया जायेगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–19(NP) वित्त–4/2012, दिनॉक 24 अगस्त, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 के0 सुधांशु)
अपर सचिव(स्वंतंत्र प्रभार)

संख्या–861 /XV-2/01(01)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव--मंत्री, दुग्ध विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास को प्र0 सचिव महोदय को अवगतार्थ।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखंड ।
8. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।